

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का वरिष्ठ सहायक 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 20 सितम्बर, मंगलवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसआईडब्ल्यू इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये विनय कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एसआईडब्ल्यू इकाई, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा पिछले वर्ष खरीदे गये ई-स्टाम्प की राशि करीब 92 हजार रुपये को रिफंड करने की एवज में विनय कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में एसीबी की एसआईडब्ल्यू इकाई, जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ललित किशोर शर्मा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री चित्रगुप्त एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विनय कुमार पुत्र श्री केशव चंद जाटव निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, महुआ, जिला दौसा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी वरिष्ठ सहायक द्वारा एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से रिश्वत राशि खुर्द-बुर्द कर दी, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।